न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बींदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 61/2022

1. मूलाराम पुत्र स्व0 सालूराम जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
2. श्रीमती जड़ाव धर्मपत्नी स्व0 मालाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासीनी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
3. भंवरलाल पुत्र स्व0 मालाराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
4. तुलछाराम पुत्र स्व0 मालाराम जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
5. रामनारायण पुत्र स्व0 मालाराम जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)

.... वादीगण

बनाम

1. कुशलाराम पुत्र स्व0 भैराराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
2. श्रीमती जैतादेवी धर्मपत्नी स्व0 दुलाराम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
3. जसाराम पुत्र स्व0 दुलाजाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
4. मांगीलाल पुत्र स्व0 भींयाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
5. श्रीमती मुकनीदेवी धर्मपत्नी स्व0 रामलाल जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
6. बीरबलराम पुत्र स्व0 रामलाल जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
7. रेवन्तराम पुत्र स्व0 रामलाल जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
8. नन्दराम पुत्र स्व0 रामलाल जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान).
9. श्रीमती सन्तोष पुत्री स्व0 रामलाल उम्र 38 वर्ष धर्मपत्नी छैलूराम जाति जाट हाल निवासीनी ग्राम नोड़िया तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
10. श्रीमती मैनादेवी पुत्री स्व0 रामलाल, उम्र 34 वर्ष धर्मपत्नी रामलाल जाति जाट हाल निवासीनी ग्राम नोड़िया तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
11. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)

..... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

दावा खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति

उपस्थित :–

1. श्री बजरंगसिंह एडवोकेट वादीगण
2. श्री रघुवीरसिंह भामू एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10
3. पैरोकार राज

:– निर्णय –: दिनांक 18-11-24

दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वंश वृक्ष निम्न प्रकार से है :–

- पन्नाराम फौत
  - सालूराम पुत्र फौत
    - मूलीदेवी पत्नी फौत
    - मालाराम पुत्र फौत
      - जड़ावदेवी पत्नी वादीनी 2
      - भंवरलाल पुत्र वादी सं0 3
      - तुलछाराम पुत्र वादी सं0 4
      - रामनारायण पुत्र वादी सं0 5
    - मूलाराम पुत्र वादी सं0 1
  - भैराराम पुत्र फौत
    - खेतू पत्नी फौत
    - भींयाराम पुत्र फौत
      - मोहनी पत्नी फौत
      - मांगीलाल पुत्र प्रतिवादी सं0 4
    - दुलाराम पुत्र फौत
      - जैता पत्नी प्रतिवादीनी संख्या 2
      - जसाराम पुत्र प्रतिवादी संख्या 3
    - रामलाल पुत्र फौत
      - मुकनीदेवी पत्नी प्रति. सं 05
      - बीरबलराम पुत्र प्रति. सं0 6
      - रेवन्तराम पुत्र प्रति. सं0 7
      - नन्दराम पुत्र प्रति. सं0 8
      - सन्तोष पुत्री प्रति. सं0 9
      - मैनादेवी पुत्री प्रति. सं0 10
    - कुशलाराम पुत्र प्रतिवादी संख्या 1

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा,काश्त के खेत वर्तमान खसरा नंबर 483 तादादी 0.4047 हैक्टैयर व खसरा नंबर 511 तादादी 4.8056 हैक्टैयर व खसरा नंबर 547 तादादी 7.3349 हैक्टैयर व खसरा नंबर 559 तादादी 18.0844 हैक्टैयर व खसरा नंबर 639 तादादी 11.1920 हैक्टैयर व खसरा नंबर 731 तादादी 2.8454 हैक्टैयर कुल किता 6 कुल तादादी 44.6670 हैक्टैयर वाके रोही बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा स्व0 सालूराम का व 1/2 हिस्सा स्व0 भैराराम का निहित था वादीगण स्व0 सालूराम के वारिसान है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 स्व0 भैराराम के वारिसान है इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त खसरों की भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का संयुक्त हिन्दू परिवार विभक्त हुए करीब 50 वर्ष हो गये है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का खान पान लेन देन सब अलग अलग है तथा अलग अलग ही रहते है दावा में वर्णित खेतों का स्व0 सालूराम व स्व0 भैराराम ने आपसी सहमति व सुविधा से बाहमी बंटवारा आज से करीब 50 वर्ष पूर्व कर लिया था मुताबिक बाहमी बंटवारा स्व0 सालूराम के हिस्से पांति व कब्जा काश्त में खेत खसरा नंबर 547 तादादी 7.3349 हैक्टैयर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 731 तादादी 2.8454 हैक्टैयर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 639 तादादी 11.1920 हैक्टैयर सम्पूर्ण तथा खसरा नंबर 511 तादादी 4.8056 हैक्टैयर मिन 0.9692 हैक्टैयर उतरी–पूर्वी ओर की पारेवड़ा जाने वाले रास्ते पर स्थित भूमि हिस्से पांति में आई जिसको स्व0 सालूराम ने अपने जीवनपर्यन्त काश्त किया उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण काश्त करते आ रहे है शेष भूमि स्व0 भैराराम के हिस्से पांति में आई जिसे वो अपने जीवनपर्यन्त काश्त करते रहे उनके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 काश्त करते आ रहे है। वादीगण ने अपने हिस्से पांति में आये हुये खेतों में अपने स्वयं का श्रम व धन लगाकर काफी उपजाउ बनाया तथा कई पेड पौधे लगा रखे है। खेत खसरा नंबर 639 में वादी संख्या 1 ने पक्के मकान व पक्का पानी का कुण्ड बना रखा है तथा खसरा नंबर 547 व खसरा नंबर 731 में वादीगण संख्या 2 ता 5 ने झोपड़े व पक्के पानी के कुण्ड बना रखे है। उपरोक्त वर्णित खेतों का अभी तक विधिवत यानि बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नहीं होने के कारण वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त दर्ज चली आ रही है उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण खसरा नंबरों की भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त दर्ज होने के कारण वादीगण को कई प्रकार की कानूनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 वादीगण को उनके हिस्से पांति व कब्जा काश्त की भूमि को काश्त करने व सींव आदि को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह अपने हिस्से पांति व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर करवाकर अपनी हिस्से पांति व कब्जे,काश्त की

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करावे एवं लगान का विभाजन करावे जिसके वादीगण कानूनी अधिकारी है क्योंकि वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त के है तथा वादीगण वादगत खेतों के 1/2 हिस्सा के रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। मूलीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए दावे मे पक्षकार नहीं बनाया गया है वादगत खेतों में स्व0 मूलीदेवी का 1/6 हिस्सा है वो वादीगण उसके प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण उनमें निहित हो गया है मूलीदेवी के स्वर्गवास के पश्चात् वादगत खेत में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 ता 5 का 1/4 हिस्सा निहित हो गया है जिसका विभाजन करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है। खेतु पत्नी स्व0 भैराराम का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए उसे दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। खेतू का वादगत खेतों में जो 1/10 हिस्सा है वो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 उसके ज़ायज वारिसान होने के कारण उनमें निहित हो गया है जो दावा में पक्षकार है। मोहनीदेवी पत्नी स्व0 भींवाराम का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए उसे दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है वादगत खेतों में जो स्व0 मोहनीदेवी का जो हिस्सा है वोह उसके जायज वारिस पुत्र प्रतिवादी संख्या 4 मांगीलाल में निहित हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने आपस में मिलकर वादीगण के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा वादीगण को उनके हिस्से पांति व कब्जा काश्त की भूमि को काश्त करने व फसल लेने में बाधायें उत्पन्न करने लग गये तथा प्रतिवादीगण वादीगण को ऐलानियां धमकियां भी दे रहे है कि तुम्हें तुम्हारी हिस्से पांति व कब्जे काश्त की भूमि को जबरन ताकत के बल पर काश्त नहीं करने देंगे तथा न ही फसल लेने देंगे। प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने तथा राजनैतिक संरक्षण प्राप्त पैसे वाले व्यक्ति है वादीगण शांतिप्रिय कानून में विश्वास करने वाले व्यक्ति होने के कारण प्रतिवादीगण का ताकत के बल पर मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के इस गलत कृत्य को रूकवाने के लिए न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री द्वारा वर्जित करवाये कि वो वादीगण के हिस्से पांति व कब्जे काश्त की 1/2 हिस्सा की भूमि को काश्त करने से नहीं रोंके एवं न ही वादीगण के कब्जे,काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी देवे तथा न ही वादगत खेतों का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बैय आदि करें। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 से कई दफा वादगत खेतों की खातेदारी के विधिवत विभाजन करवाने एवं वादीगण के हिस्से पांति व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं देने का आपसी तौर पर मौखिक निवेदन किया तो पहले तो वो टालमटोल करते रहे आखिरकार दिनांक 19.06.2022 को ऐसा करने से वो साफ इन्कार हो गये तथा वादीगण को ऐलानियां धमकियां दी कि हम तुम्हें तुम्हारे हिस्से पांति की भूमि को इस वर्ष बरसात होने पर काश्त नहीं करने देंगे यदि काश्त की तो फसल नहीं लेने देंगे तथा न प्राकृतिक पैदावार लेने देंगे। अतः यही दावे का हैतुक है तथा वादीगण को वादाधार वादगत खेतों के 1/2 हिस्सा के संयुक्त खातेदार

लगातार 5 पर

उपखण्ड अधिकारी

काबिज काश्तकार होने से सतत् प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हिस्से पांति की भूमि को तथा स्व0 मोहनीदेवी जो प्रतिवादी संख्या 4 की माता थी का भी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 के रहन रखा हुआ है मोहनीदेवी का स्वर्गवास हो जाने से उसका हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 उसका प्रथम श्रेणी का वारिस होने के कारण उसमें निहित हो गया है इसलिए कानूनी आपतियों को ध्यान में रखते हुए उसे दावे में प्रतिवादी संख्या 11 पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार भू–धारक होने व विभाजन के दावे में आवश्यक पक्षकार होने के कारण दावा में प्रतिवादी संख्या 12, ज़रिये तहसीलदार बीदासर पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने दावा पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त खेतों में वादीगण का 1/2 हिस्सा जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 ता 5 का 1/4 हिस्सा निहित है की भूमि का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में पृथक खातेदारी दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को जरिये चिर निषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित किया जावे कि वादीगण के 1/2 हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधायें व हस्तक्षेप नहीं करें बाबत वाद प्रस्तुत किया है। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 की ओर से श्री रघुवीर भामू एडवोकेट ने वकालतनामां पेश किया प्रतिवादी संख्या 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उन्होंने जबाबदावा पेश नहीं किया दिनांक 1.7.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के वकील ने यह जाहिर किया कि जबाबदावा पेश नहीं करना चाहते इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का जबाब बन्द किया गया पैरोकार राज ने अपने जबाब में राज्यहित निहित नहीं होना अंकित किया। राजस्थान सरकार इस दावा में औपचारिक पक्षकार है। इस दावा में वादीगण के दावा का किसी भी प्रतिवादी ने कोई विरोध करते हुए कोई जबाब पेश नहीं किया इसलिए इस दावे में तनकी नहीं बनाई गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 मूलाराम तथा गवाह पी. डब्ल्यू. 2 गणेशाराम के बयान करवाये गये दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नक्शा मौका,नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 प्रदर्श–2 प्रदर्शित करवाये गये गवाहों से जिरह करने का वकील प्रतिवादी को अवसर दिया गया लेकिन उन्होंने जिरह नहीं की दिनांक 2.9.2024 को साक्ष्य वादी अन्य गवाह पेश नहीं करना चाहते यह जाहिर किया गया जिस पर साक्ष्य वादी बन्द किया गया वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते जाहिर किया इसलिए प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई।

लगातार 6 पर

उपखण्ड अधिकारी

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की सुनी गई पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया नकल जमाबंदी प्रदर्श 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है विवादित भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का 1/2 हिस्सा इस प्रकार वादीगण का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा प्रमाणित होता है जिसे वादीगण विभाजन करवाकर अलग खाता कायम करवाने व लगान का विभाजन करवाने के अधिकारी है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय आश्वस्त है कि विवादित भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा प्रमाणित है पक्षकारान का संयुक्त हिन्दू परिवार भी 50 वर्ष पूर्व विभक्त हो गया है इसलिए वादीगण का दावा डिक्री योग्य होना पाया जाता है।

दावा वादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है विवादित खेत खसरा नंबर 483 तादादी 0.4047 हैक्टैयर व खसरा नंबर 511 तादादी 4.8056 हैक्टैयर व खसरा नंबर 547 तादादी 7.3349 हैक्टैयर व खसरा नंबर 559 तादादी 18.0844 हैक्टैयर व खसरा नंबर 639 तादादी 11.1920 हैक्टैयर व खसरा नंबर 731 तादादी 2.8454 हैक्टैयर कुल किता 6 कुल तादादी 44.6670 हैक्टैयर वाके रोही बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है जिसका पृथक विभाजन कर खाता तथा लगान अलग अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को जरिये चिर निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जा,काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप नहीं करें तहसीलदार बीदासर से पक्षकारों के राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सानुसार [illegible] विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)
बीदासर